"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 अगस्त 2012— श्रावण 19, शक 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, भार्गवी तिवारी पिता श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी, उम्र 32 साल, निवासी-एम. आई. जी. 45, फेस-2, आर. पी. नगर, कोरबा छ. ग. वर्तमान पता फूल चौक, नवीन मार्केट के सामने, गुजराती बाड़ा के पास रायपुर (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्र में मेरा नाम अनामिका तिवारी पिता श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी दर्ज है. मेरी जन्मतिथि 01-01-1978 है तथा उक्त जन्मतिथि भी मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. मैं दिनांक 22-10-2010 से अपने नाम को परिवर्तित कर "अनामिका " के स्थान पर "भार्गवी तिवारी" (Bhargavi Tiwari) रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मुझे भार्गवी तिवारी पिता श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम

अनामिका तिवारी
पिता - श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी
निवासी-एम. आई. जी.-45, फेस-2
आर. पी. नगर, कोरबा
जिला-कोरबा (छ. ग.)

नया नाम

भार्गवी तिवारी
(Bhargavi Tiwari)
पिता - श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी
पता- C/o अनिल शर्मा
दुर्गा आटा चक्की के पास
रोहणीपुरम, रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती पावित्री साहू पति श्री दिनेश कुमार हिरवानी, उम्र 36 साल, निवासी-क्वा. नं.-8 ए, सड़क नं. 27, सेक्टर 4, भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरा विवाह 17-02-1997 को दिनेश कुमार हिरवानी के साथ रीति रिवाज से सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम और उपनाम को परिवर्तित कर अपना नाम श्रीमती भूमिका हिरवानी रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मुझे श्रीमती भूमिका हिरवानी पति श्री दिनेश कुमार हिरवानी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
श्रीमती पावित्री साहू पति - श्री दिनेश कुमार हिरवानी निवासी-क्वा. नं. 8ए. सड़क नं. 27 सेक्टर 4, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती भूमिका हिरवानी पति - श्री दिनेश कुमार हिरवानी निवासी-क्वा. नं. 8ए. सड़क नं. 27 सेक्टर 4, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, गोवर्धन आत्मज उदयराम, उम्र 37 साल, निवासी-ग्राम-बिष्णुपुर, तहसील-डोंगरगढ़ जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) का हू. यह कि मेरे पुत्र रंजीत कुमार के शाला अभिलेख में तथा कक्षा पहली, आठवीं एवं दसवीं के प्रमाण-पत्र में त्रुटिवश रंजीत कुमार आत्मज देवानंद एवं माता का नाम गायत्री बाई दर्ज हो गया है. यह कि मेरे पुत्र के शाला प्रमाण-पत्र में सही नाम रंजीत कुमार आत्मज गोवर्धन एवं माता श्रीमती अनिता सुधरवाने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे गोवर्धन पिता श्री उदय राम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
देवानन्द राउत पिता - श्री उदय राम राउत निवासी-ग्राम-विष्णुपुर तह.-डोंगरगढ़ जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)	गोवर्धन राउत पिता - श्री उदय राम राउत निवासी-ग्राम-विष्णुपुर तह.-डोंगरगढ़ जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, साईना रिजवी पिता श्री ए. एन. सूर्यवंशी, उम्र 31 वर्ष, निवासी-रिजवी मंजिल, कसारीडीह, दुर्ग, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मैं गीताजंली सूर्यवंशी पिता ए. एन. सूर्यवंशी, ग्राम व पो. मचांदूर के नाम से जानी पहचानी जाती थी. मेरा विवाह 28-4-2005 को श्री शौकत अहमद पिता अग्गन अहमद के साथ इस्लामिक रीति रिवाज से सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अपना साईना रिजवी पति श्री शौकत अहमद रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मुझे साईना रिजवी पति श्री.शौकत अहमद के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
गीतांजली सूर्यवंशी पिता- श्री ए. एन. सूर्यवंशी निवासी-ग्राम व पोस्ट मचांदूर व्हाया अण्डा तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	साईना रिजवी पति-श्री शौकत अहमद निवासी-कसारीडीह चौक (रिजवी मंजिल) दुर्ग तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दिनेश कुमार पिता स्व. बिशाल दास, उम्र 42 साल, निवासी-क्वा. नं.-8 ए, सड़क नं. 27, सेक्टर 4, भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र में कोक ओवन विभाग में वेंजाल रेक्टीफिकेशन अनुभाग में कार्यरत हूं. हिरवानी मेरा सरनेम हैं. मेरे समस्त सर्विस रिकार्ड में मेरा सरनेम हिरवानी दर्ज नहीं है. मैं अपने नाम के आगे हिरवानी सरनेम जोड़कर अपना नाम दिनेश कुमार हिरवानी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे दिनेश कुमार हिरवानी पिता स्व. बिशाल दास के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
श्री दिनेश कुमार पिता- स्व. बिशाल दास निवासी-क्वा. नं. 8 ए. सड़क नं. 27 सेक्टर 4, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	श्री दिनेश कुमार हिरवानी पिता- स्व. बिशाल दास निवासी-क्वा. नं. 8 ए. सड़क नं. 27 सेक्टर 4, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य की सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव (छ. ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 27 जुलाई 2012

क्रमांक/789/उपंरा/विधि/2012.--वस्तुतः कार्यालयीन आदेश क्रमांक/617/उपंरा/परि./2005, राजनांदगांव, दिनांक 05-8-2005 से परिसमापनाधीन मातेश्वरी बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, राजनांदगांव, पंजीयन क्रमांक 37, जिला-राजनांदगांव को छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (4) के प्रावधानों के अन्तर्गत पुनर्जीवित किया जाकर उक्त संस्था के कार्य संचालन हेतु श्री वेदनाथ साहू, ग्राम सिंघोला, जिला-राजनांदगांव की अध्यक्षता में एक तदर्थ कमेटी नियुक्त किया गया था किन्तु नियुक्त तदर्थ कमेटी द्वारा नियमानुसार उक्त सोसायटी का निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया.

2- सामान्य निर्वाचन प्रक्रिया के तहत् मातेश्वरी बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, राजनांदगांव, पंजीयन क्रमांक 37, जिला राजनांदगांव के निर्वाचन हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक/726/उपंरा/निर्वाचन/2012 राजनांदगांव दिनांक 13-7-2012 से श्री लोकनाथ साहू, उप अंकेक्षक को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया. निर्वाचन अधिकारी श्री लोकनाथ साहू द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 26-7-2012 के अनुसार उक्त सोसायटी के अध्यक्ष श्री बेदनाथ साहू द्वारा समयावधि में निर्वाचन कराने में असमर्थता व्यक्त की गई और कार्यालय में उपलब्ध अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनुसार उक्त सोसायटी निरंतर अकार्यशील रही है जिसके परिणामस्वरूप उसके सदस्यों में सोसायटी का निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं है. वस्तुतः मातेश्वरी बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, राजनांदगांव पंजीयन क्रमांक 37, जिला-राजनांदगांव एक अकार्यशील बुनकर सहकारी समिति है तथा उक्त सोसायटी को अस्तित्व में बनाये रखने में उसके सदस्यों की कोई रूचि नहीं है, इसलिए उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना अत्यन्त आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ : 15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ. ग. की शक्तियों का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक /617/उपंरा/परि./2005 राजनांदगांव, दिनांक 05-8-2005 को निरस्त करते हुए मातेश्वरी बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, राजनांदगांव, पंजीयन क्रमांक 37, जिला राजनांदगांव को छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (ए/क) के विहित प्रावधानों के अधीन पुनः परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती सीमा मिश्रा, सहकारिता विस्तार अधिकारी, राजनांदगांव को उक्त सोसायटी का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

एस. एल. विश्वकर्मा,
उप पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.)

कोरबा, दिनांक 25 जुलाई 2012

क्रमांक/उपंको/परि./2012/652.—प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., [illegible]लपुर, वि. ख. पोड़ीउपरोड़ा, पंजी. क्र. 3414 दिनांक 14-11-91 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./844 दिनांक 31-10-09 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. पोड़ीउपरोड़ा को परिसमापक नियुक्त किया था.

परिसमापक द्वारा प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., धवलपुर की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं, दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें कोरबा, जिला-कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित, धवलपुर, विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा, पंजीयन क्रमांक 3414 दिनांक 31-10-09 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाड़ी कार्पोरेट) को समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 25-07-12 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 25 जुलाई 2012

क्रमांक/उपंको/परि./2012/653.— कामगार एवं खनिज सहकारी समिति मर्या., मल्दा, वि. ख. पोड़ीउपरोड़ा, पंजी. क्र. 3869 दिनांक 25-06-97 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./336 दिनांक 04-06-08 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. पोड़ीउपरोड़ा को परिसमापक नियुक्त किया था.

परिसमापक द्वारा कामगार खनिज सहकारी समिति मर्या., मल्दा की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं, दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें कोरबा, जिला-कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए कामगार एवं खनिज सहकारी समिति मर्यादित, मल्दा, विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा, पंजीयन क्रमांक 3869 दिनांक 25-06-97 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाड़ी कार्पोरेट) को समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 25-07-12 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

दिलीप जायसवाल,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2012.